भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1552

09.02.2026 को उत्तर के लिए

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं

1552. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितंबर से नवंबर 2025 तक पंजाब राज्य से रिपोर्ट की गई पराली जलाने की घटनाओं की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर भारत में पराली जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में किसानों के लिए नए प्रोत्साहन या शास्तियाँ लगाई हैं;

(घ) 2025 में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बजटीय आवंटन और वास्तविक वितरण कितना है; और

(ङ) पिछले वर्षों की तुलना में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने की दिशा में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से)ङ(: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर से नवंबर 2025 के दौरान पंजाब राज्य में धान की पराली जलाने की 5114 घटनाएँ दर्ज की गईं।

सरकार ने धान की पराली जलाने की परंपरा को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा धान की पराली जलाने से रोकथाम और प्रबंधन हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष-वार, राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ बनाईं गईं। इस ढांचे के आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ तैयार कीं।

इस कार्ययोजना में इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू धान की पराली का उपयोग, कड़े निगरानी और प्रवर्तन तथा व्यापक जागरूकता अभियान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कटाई के बाद कृषि अवशेष जलाने की परंपरा को कम करना है। यह योजना दिल्ली एनसीआर में कोयला आधारित थर्मल पावर

प्लांटों और सभी ईंट भट्टों में धान की पराली पर आधारित बायोमास पैलेट/ब्रिकेट्स के उपयोग को भी अनिवार्य करती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन संयंत्रों की स्थापना हेतु एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 25 संयंत्रों के लिए कुल 15.58 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 104.5 टन प्रति घंटे (टीपीएच) है और इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 4.83 लाख टन धान की पराली का उपयोग किए जाने की अपेक्षा है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने तथा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2018-19 से 'केंद्र सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना' लागू की गई है। राज्यों ने एकल किसानों को 3.50 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और इन राज्यों में 43,415 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं, जिनमें 1.48 लाख फसल अवशेष मशीन (सीआरएम) और पंजाब में इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1500 सीएचसी शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2025-26 (दिनांक 04.02.2026 तक) की अवधि के दौरान अब तक 4,173.84 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से पंजाब राज्य को 2026.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण कार्यक्रम 'मेरा पानी मेरी विरासत' के तहत किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य राज्य में धान की कटाई क्षेत्र को कम करना और मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दलहन, खरीफ प्याज, चारा फसलों, बागवानी/सब्जी फसलों, यहां तक कि अवक्रमित भूमि में भी इन फसलों को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने में शामिल न होने के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इसके अलावा, किसानों को धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) विधि का उपयोग करने के लिए 4000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाता है।

पंजाब सरकार उन किसानों को जो धान की सीधी बुवाई तकनीक अपनाते हैं, प्रति एकड़ 1500 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन देती है। 2.93 लाख एकड़ क्षेत्र में डीएसआर विधि से बुवाई की गई है। पंजाब राज्य की पीबीआईपी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत सरकार ने शुगर मिल, पेपर मिल जैसी उद्योगों में स्थापित (धान की पराली आधारित) बॉयलर की लागत पर एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का प्रोत्साहन दिया है, जिनकी स्टीम जनरेशन क्षमता 25 टन प्रति घंटे (टीपीएच) से अधिक है। इसके अतिरिक्त, धान की पराली का उपयोग करने वाले औद्योगिक इकाइयों के लिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

धान अवशेष की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए 22 धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों द्वारा सीआरएम मशीनों का मानचित्रण, वास्तविक समय में बुकिंग, अधिकारियों द्वारा मशीन उपयोग का दैनिक रिपोर्टिंग और मशीन किराए पर लेने के लिए एकल प्लेटफॉर्म को सुविधाजनक बनाने हेतु 'उन्नत किसान ऐप 2.0' लॉन्च किया गया है।

"धान की पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिए 10,500 क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा में प्रभावी प्रवर्तन हेतु पंजाब में ब्लॉक स्तर पर 1700 कर्मियों की

'पराली सुरक्षा बल' तैनात की गई है। पंजीकृत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के धान की कटाई के मौसम के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 31 फ्लाइंग स्क्वाड्स को तैनात किया गया है, ताकि कार्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा सके और संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा सके।

पंजाब सरकार ने उच्च जल मांग और देर से कटाई के कारण पूसा 44 बीज किस्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीएआर ने पूसा 44 का विकल्प बनाने के लिए कई ऐसी धान की किस्में विकसित की हैं, जो 125 दिनों में पक जाती हैं, समान उत्पादन देती हैं और कम जल का उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने पूसा 44 किस्म की तुलना में बेहतर विकल्प के रूप में कई नई धान की किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा 2090, पूसा 1824, पीआर114, पीआर 122, पीआर 126, पीआर 128, पीआर 131। आईएआरआई द्वारा पूसा 44 के स्थान पर समान या बेहतर उपज क्षमता वाली अल्पकालिक किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेत स्तर पर प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण, संग्रहण और उपयोग) नियम, 2023 के अनुसार 2386 मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है।

समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। वर्ष 2021 में जहाँ 71,304 घटनाएँ दर्ज की गई थीं, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी सुधार हुआ है, जो वर्ष 2018 में 225 के मुकाबले वर्ष 2025 में 201 दर्ज किया गया है।

****